IJAER/ July-August -2022/Volume-11/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

ब्रिटिश राज के तहत महिला शिक्षा: एक अध्ययन

Dr. Puspendra Kumar Nischhal
Asstt. Professor (History).
Govt Degree College,
Majra Mahadev, Pauri (Garhwal) Uttarakhand.

सार:

भारत में आधिकारिक आंदोलन के विशाल क्षेत्र में शिक्षा किसी अन्य विषय की तुलना में अधिक उल्लेखनीय जटिलताओं और मूल्यांकन के विरोधाभासों को प्रस्तुत करती है। शिक्षित भारतीय, अपने आस–पास के बहुमत की असाधारण निरक्षरता से अपने गौरव के साथ, शैक्षिक कार्यालयों के तेजी से विस्तार के लिए रैकेट करता है। अधिकांश समय वह एक व्यवस्था की परिभाषा को खारिज कर देता है, और काम की विशालता के बारे में बहुत कम सोचता है। विधिसम्मतता को बनाए रखने के संबंध में दायित्व के ढेर से कुचल ब्रिटिश प्राधिकरण, निस्संदेह निजी शैक्षिक उपक्रमों पर संदेह की दृष्टि से देखता है और कोशिश करता है, और, उम्मीद बढ़ाने के प्रयास में, में दी जाने वाली तैयारी के उपाय की अनदेखी करता है। स्कूल और विश्वविद्यालय। प्रशिक्षक, अंतहीन परेशान करने वाली सरकारी विभागीय सीमाओं और दिशानिर्देशों के तहत अपमानित और कम वेतन और कोई विशेषज्ञ दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कमजोर, किसी भी बदलाव के खिलाफ है, अगर उसकी स्थिति और अधिक भयानक हो जाती है। ब्रिटिश शुरुआत में 1600 के अंत में भारत आए थे, और ब्रिटिश संगठन शासन सफलतापूर्वक 1757 में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया और इन वर्षों के दौरान कई विद्रोह, युद्ध, लड़ाई और विद्रोह हुए हैं जिन्होंने भारतीय विकास को नुकसान पहुंचाया है। इसके केंद्र को। इस तथ्य के बावजूद कि नकारात्मक प्रभाव थे, उन्होंने इसी तरह अपने शिक्षा ढांचे के माध्यम से भारत को लाभान्वित किया है। उनके द्वारा दिए गए शिक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वर्तमान शिक्षा ढांचा उन्नीसवीं सदी से पहले शुरू हुआ था। 1813 में ब्रिटिश संसद ने संगठन की मंजूरी में एक प्रावधान शामिल किया। ष्इस तरह, सभी विचारशील और सैन्य लागतों को निपटाने के बाद, हर साल कम से कम एक लाख रुपये की राशि एक अतीत बन जाएगी और भारत के विद्वानों के स्थानीय लोगों के लेखन और समर्थन की वसूली और सुधार के लिए लागू की जाएगी। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के रहने वालों के बीच विज्ञान पर एक जानकारी की प्रस्तुति और उन्नति।

मुख्य शब्द: *ब्रिटिश राज* , महिला

परिचय

अत्याधुनिक प्रकार के शैक्षिक संगठन को ब्रिटिश समय सीमा के दौरान इसकी शुरुआत और सुधार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिचित मिशनरियों के भारत में आने से पहले, राष्ट्र में शिक्षा की एक सामान्य व्यवस्था थी, जिसमें अल्पविकसित और उन्नत शिक्षा दोनों शामिल थे। यह पूरी तरह से एक निजी उद्यम था, किसी भी प्रकार के बाहरी कार्यालय द्वारा अनियंत्रित और अनियंत्रित। इन संस्थानों के जुड़ाव में वर्तमान प्रकार के शैक्षिक संगठन के साथ कम से कम समानता थी। प्रारंभ में, शिक्षा और उसका संगठन काफी समय तक ब्रिटिश नियंत्रण में था। बाद में, शैक्षिक संगठन के भारतीयकरण के लिए रुचि बढ़ गई। आम तौर पर बाहरी सरकार की व्यवस्था गैर–बाधा और शैक्षिक विस्तार कार्यक्रमों में गतिशील रुचि से हटने की थी। नतीजतन, भारतीय और अपरिचित दोनों तरह के निजी उपक्रमों को इन–गाइड पुरस्कारों के माध्यम से सांत्वना मिली थी। इसलिए, शैक्षिक संगठन का तंत्र, जिसका विकास और सुधार इस अवधि के दौरान हुआ था, मुख्य रूप से नियंत्रण और प्रशासनिक क्षमताओं के साथ निहित था। नारी शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सरकार भारतीयों के रूढ़िवादी स्वभाव को नाराज नहीं करना चाहती थी और इसलिए भी कि महिलाओं को आम तौर पर क्लर्क के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

औपनिवेशिक शिक्षा विवादास्पद रही है और इसके विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण से व्यापक रूप से भिन्न व्याख्याओं की

पेशकश की गई है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शिक्षा नीति का तीर्थयात्रियों की अवधि के दौरान गहरा संघर्ष हुआ था और इतिहास के कई समकालीन छात्रों के बीच एक जुझारू मुद्दा बना हुआ है और इस विषय के इतिहास–लेखन का एक बुनियादी सर्वेक्षण लंबे समय से बाकी है। ब्रिटिश प्रांतीय शिक्षा नीति भारत में 1813 में शुरू हुई, जिसमें ओरिएंटल संस्कृति और पश्चिमी विज्ञान दोनों को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी। किसी भी मामले में, 1920 के दशक के दौरान सार्वजनिक निर्देश के एक पूर्व निदेशक ने जोर देकर कहा कि शिक्षा ने भारतीय संस्कृति के लिए भारत की भौतिक और राजनीतिक उन्नति की तुलना में बहुत कम किया है। बाद में ब्रिटिश भारत में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विद्वतापूर्ण व्याख्या अनियमित और मिश्रित गुणवत्ता दोनों रही है। अब तक, ब्रिटिश नीति के विश्लेषण का एक बड़ा हिस्सा बिंदु–दर–बिंदु अकादमिक परीक्षा के बजाय महसूस करके अधिक समझा गया लगता है और इस रिकॉर्ड का तर्क है कि दस्तावेजों में अधिक श्ट्रगिंगश को साबित करने, परिष्कृत करने या अमान्य करने के लिए अभी बेहद जरूरी है। भारत के शैक्षिक इतिहास विशेषज्ञों के मामले। यह दो–भाग वाले लेख का प्रारंभिक खंड है; दूसरा अफ्रीका और शेष अग्रणी साम्राज्य का प्रबंधन करेगा। कुछ के लिए पूरा ढांचा एक घातक भौंरा के रूप में दिखाई देता है, जो इस वजह से आ रहा है कि क्या होना चाहिए था और प्रभावी रूप से बच गया होगा। दूसरों के लिए यह इस अत्याधुनिक दुनिया के जीवन में राष्ट्रीयता और रुचि के लिए अलग और पिछड़े व्यक्तियों को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के ईमानदार और अच्छे प्रयास का समृद्ध फल है। महिलाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने लगे और उन्होंने व्यवसाय करना शुरू कर दिया और अपने घरों के बाहर सार्वजनिक रोजगार। भारतीय राष्ट्रीय सेना (प्छ।) की कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और कई अन्य महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

साहित्य की समीक्षा

एसआईएल, एन. (2012) और भी अधिक आलोचनात्मक रूप से, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदू पुनरुत्थानवाद के रिवाज ने सरकार के गुट के लिए एक तत्काल प्रेरणा और प्रारूप दिया। हिंदू प्रचारक, उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद (1863 – 1902), बालगंगाधर तिलक (1856 – 1920), श्री अरबिंदो (1872 – 1950), बिपिनचंद्र पाल (1858 – 1932), या सहजानंद स्वामी (स्वामीनारायण, 1781 – 1830) ने श्स्थानीय क्षेत्र की एक बहाल भावना पैदा करने और अंत में देशभक्ति को अपनाने के लिए वित्तीय गुणों के साथ सख्त मिश्रण करने का प्रयास किया था। सरवर (2012) पेपर अचूक पश्चिमी मिशनरियों के काम को दर्शाता है जो ईसाई धर्म को भारत में महिला शिक्षा के रूप में उपनिवेशित कर रहे थे, जो स्थानीय लोगों के बीच श्पुनर्गठन के अनुमानश और श्व्यक्ति के अधिकारश को अंतर्निहित करता है। इन मिशनरियों ने श्एडिफाइंग मिशन ऑफ व्हाइट मेनश के झंडे के नीचे श्इंपीरियल ब्रिटिश शासन की स्वीकृतिश की संरचना के अंदर भारत की महिलाओं को कुछ आधुनिकीकरण चक्र शिक्षित किया। विशेष रूप से, मैंने बंगाल में महिला शिक्षा देने में व्यस्त यूरोपीय मिशनरियों के मान्यता प्राप्त सहयोगियों और निजी संघों की नौकरी का निरीक्षण किया। दूसरी ओर, मैंने बंगाली युवतियों और महिलाओं की श्नई शिक्षाश के प्रति प्रतिक्रिया की पद्धति का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है, जो उन्हें मिशनरी स्कूल मास्टर्स और स्कूली शिक्षिकाओं के कारण मिली, जिन्होंने ईसाई प्रभुत्व बनाम महिला मुक्ति के बारे में एक देशी चर्चा की। वर्तमान में एक समृद्ध और दिलचस्प लेखन दिखाई दे रहा है जो भारतीय महिलाओं पर वर्तमान समय के शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण करता है और दार्शनिक प्रतिक्रियाओं को रेखांकित करता है, खासकर भारतीय देशभक्ति की बात के अंदर। अंत में, यूरोपीय महिला मिशनरियों के दर्शन और विचार प्रक्रियाओं और बंगाल में महिला शिक्षा की प्रगति के लिए उनकी बाधाओं को मौलिक रूप से विच्छेदित करने का प्रयास किया गया है।

ज्च्च्च्,ै. (2005) कैथोलिक मिशनरियों ने 1885 के बाद से गांवों में स्कूल बनाना शुरू कर दिया। लूथरन मिशनरियों के आने से पहले औपचारिक शिक्षा यहाँ वास्तव में ज्ञात नहीं थी। एक साल के अंदर जेसुइट मिशनरियों ने 30 स्कूल खोले। 1887 तक, 2400 युवकों और 70 युवतियों के साथ स्कूलों की संख्या बढ़कर 70 हो गई थी।

फुच्स (2005), इस तरह से देखता है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासी नेटवर्क के बीच किया गया सरकारी सहायता कार्य सरकारी कार्यालयों की तुलना में काफी अधिक फलदायी और आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। वे अंदरूनी सूत्रों के रूप में पूरे दिल से काम करते हैं, जिसके कारण उन्होंने पड़ोस की आबादी के साथ एक स्थानीय क्षेत्र की भावना का निर्माण किया है। यह भी स्पष्ट है कि मिशनरियों ने मिशनरी स्कूलों में इस स्थानीय क्षेत्र की शिक्षा की पेशकश की, मूल रूप से

ईसाई पवित्र लेखन को उन्हें वफादार विषय बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया। मिशनरियों ने आम तौर पर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बातचीत के माध्यम से भूखंडों का प्रसार और हिंदू प्रथाओं की निंदा करते हुए ईसाई धर्म को जन्म दिया।

साहू, डी. (1993) उनकी प्रेरणा से बाइबिल को विभिन्न भारतीय बोलियों में परिवर्तित किया गया और हालहेड के बंगाली व्याकरण की एक और रिलीज वितरित की गई। उनके उत्साह से 1818 ई. में सेरामपुर में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में सेरामपुर कॉलेज के नाम से जाना जाता है।

हेडन जॉन बेलेनोइट (2007) ईसाई मिशनरी सीमांत भारत में सबसे अधिक प्रेरक मनोरंजनकर्ता थे। हालाँकि, उन्होंने उपमहाद्वीप में बड़े ब्रिटिश प्रभाव के अनुरूप हाल ही में काम करना शुरू किया। भारतीय सख्त संवेदनाओं को परेशान करने के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों से शुरू में प्रतिबंधित, उन्हें 1843 के बाद ब्रिटेन में बढ़ते उपयोगितावादी और इंजीलवादी उत्साह के अनुरूप और विशिष्ट कंपनी सर्कल के अंदर काम करने की अनुमति दी गई; अंतिम ने नियमित रूप से श्नैतिक सुधारश, सभ्यता और ईसाई धर्म के बीच के अंतर को अस्पष्ट किया। सती और इसके प्रशिक्षण के परिणामी अपराधी पर चर्चा में मिशनरी शक्तिशाली थे। हिंदू धर्म और इस्लाम के साथ प्रोटेस्टेंट अनुभवों को श्रैपस्कैलियनश और श्अविश्वासियोंश की बात करने के तरीके की विशेषता थी, क्योंकि मिशनरियों ने हिंदू धर्म की श्पूजापूर्ण प्रशंसाश और इस्लाम के श्हठधर्मिताश का मजाक उड़ाया था। स्थापित प्राथमिक मिशन स्कूलों का एक हिस्सा बॉम्बे प्रेसीडेंसी, बंगाल और पंजाब में था। इन अवधि के दौरान मिशनरियों ने भारतीय धर्मों के खिलाफ एक भागीदार के रूप में पश्चिमी अनुदान के कोष में उपयोगिता का श्रेय दिया। वे अपनी गलत बयानी को श्प्रदर्शनश करना पसंद करते। ऐसा करने के लिए आवश्यक तरीका पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से था, यह तर्क देते हुए कि पश्चिमी अनुदान ईसाई नैतिकता में डूबा हुआ था और इस तरह के लोकाचार भारतीयों को आवश्यकतानुसार बदल देंगे। यह एक ऐसा समय था जब ईसाई धर्म और पश्चिमी अनुदान के बीच संतुलन मिशनरियों द्वारा समर्थित था, उदाहरण के लिए, जॉन मर्डोक और अलेक्जेंडर डफ। भारतीय विद्रोह (1857–8) के बाद, मिशनरियों को भारतीय सख्त संवेदनाओं को परेशान न करने की कोशिश करने की एक विधि के रूप में अग्रणी राज्य द्वारा (किसी भी घटना में आधिकारिक रूप से) लपेटे में रखा गया था। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, उत्तर भारत में मिशनरियों को एक हताश शिक्षा विभाग द्वारा निर्भर किया जाने लगा। वे शिक्षा पर हावी हो गए और उन्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के प्रयासों में पश्चिमी शिक्षण विधियों के वरदानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

जोसेफ बारा (2007) उन्नीसवीं सदी में, अंग्रेजों ने भारतीय जनता की मानवीय उन्नति लाने के दोहरे दृष्टिकोण के तहत भारत में सामाजिक प्रभुत्व के दृष्टिकोण की मांग की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक समारोहों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया और पूर्वी भारत में स्पष्ट रूप से छोटानागपुर आदिवासी व्यक्तियों के मुद्दे को देखते हुए उनका परीक्षण किया गया। उपनिवेशवादी और मिशनरी विवेक यह था कि आदिवासी तेजी से सामाजिक रूप से दमित होंगे और पश्चिमी संस्कृति में समाहित होंगे। छोटानागपुर आदिवासी उन व्यक्तियों से बात करते हैं जिन्होंने विशेष रूप से विभिन्न समाजों से घटकों को लिया, और घुसपैठियों से दुर्व्यवहार के खिलाफ खुद को सक्षम करने के लिए उन्हें अपनी आदिवासी संस्कृति में प्रच्छन्न किया। आदिवासी भारत सीमा या मिशनरी बोझ को देखते हुए ईसाई धर्म के साथ अभ्यस्त नहीं हुआ है, लेकिन इसे आदिवासियों द्वारा जानबूझकर अपनाया और समायोजित किया गया था।

सी. ब्लेयर (2008) सिद्धांत एक प्रकार के एनजीओ आंदोलन के रूप में भारत में चुने हुए ईसाई मिशनों की प्रगति का अनुसरण करता है। प्रस्ताव गैर–सरकारी संगठन की इस संरचना की प्रगति का विश्लेषण करता है जो उन कारकों की खोज करता है जो ईसाई विस्तार के क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए किए गए हैं, फिर भी परिणामी सामाजिक और मौद्रिक सुधार मंडल। उस समय यह एनजीओ उन्नति कार्रवाई के अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए इन प्रतिबद्धताओं के आकलन की जांच करता है। ईसाई एनजीओ की कार्रवाई एक निःस्वार्थ प्रेरणा पर निर्भर करती है। यह प्रेरणा अपने आप में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं रही है। उपलब्धि ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से आई है जो आपात स्थिति में जरूरत के अचूक क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक प्रतिबंधित इंजीलवादी मॉडल के बजाय एक सर्वव्यापी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए पहले दार्शनिक या दार्शनिक दृष्टिकोण में कुछ संशोधन

की आवश्यकता हो। इन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक ध्वनि उन्नति मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से लूथर और केल्विन द्वारा सुधार समय सीमा के बारे में सोच में स्थापित के साथ एकीकृत है। जर्मन मानवतावादी मैक्स वेबर ने भी इस जुड़ाव पर ध्यान दिया और इसे द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक की उपाधि दी, यह मानते हुए कि यह आधुनिक दुनिया के प्रतिष्ठानों में से एक है और आर्थिक उन्नति का आदेश दिया गया है। यह सुधार आधारित मॉडल पहली बार तमिलनाडु में दलित व्यक्तियों के बीच प्रारंभिक मिशन आंदोलन में प्रदर्शित किया गया था। मॉडम तुलनीय महाराष्ट्र में एरोल्स द्वारा बनाया गया है और मोटे तौर पर वर्तमान एनजीओ संगठन द्वारा अपनाया गया है। इसके अलावा प्रगति की गारंटी के लिए ध्वनि पदानुक्रमित और संस्थागत रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तुलनीय आकर्षक प्रभावों के साथ अन्य सख्त और गैर–सख्त गैर–सरकारी संगठनों द्वारा धर्मनिरपेक्ष और उपयोग किए जाने पर इन समकक्ष मौलिक मानकों को मजबूर करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

सुजीत कुमार चौधरी (2008) भारत में उन्नत शिक्षा का सामाजिक–सत्यापन योग्य भ्रमण विभिन्न कालखंडों, जैसे पुराने, पुरातन, प्रांतीय, स्वतंत्रता के बाद और समकालीन के माध्यम से विकसित हुआ है। इस भ्रमण में, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थानों में एक स्थिति लेती है। उच्च शिक्षा की संस्थाओं को सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र की संपूर्ण उन्नति के मुख्य संगठन के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, उन्नत शिक्षा का यह भ्रमण वैदिक समय सीमा में शिक्षा की एक पुरानी व्यवस्था के साथ शुरू हुआ, जिसमें शिक्षा के दो प्रकार के शैक्षिक ढांचे उपलब्ध थे, ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा के ढांचे। शिक्षा की ब्राह्मणवादी व्यवस्था सख्त गुणों द्वारा निर्देशित थी, जबकि बौद्ध प्रकार की शिक्षा प्रकृति में श्धर्मनिरपेक्षश थी। जो भी हो, भारतीय उन्नत शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ब्रिटिश शासकों की गतिविधियों के माध्यम से हुआ, जिसका कुछ निश्चित और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा। उस समय के आसपास, शिक्षा की मूल व्यवस्था को गंभीर कठिनाई हुई क्योंकि ब्रिटिश ढांचे ने एक और वर्ग बनाया जो ब्रिटिश शासकों की सेवा करता था। अब तक, भारत में संस्थानों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों में संस्थानों की कुल संख्या से कई गुना अधिक है। किसी भी मामले में, नामांकन संख्या के संबंध में एक भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान का सामान्य आकार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका (3,000–4,000) और चीन (8,000–9,000) की तुलना में बहुत अधिक मामूली (500–600) है। ज्ञान आयोग ने हाल ही में भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास की आवश्यकता का समर्थन किया है। नतीजतन, यह पेपर मूल रूप से पुराने काल से वर्तमान तक भारत में उन्नत शिक्षा के सामाजिक–दर्ज सुधार के आसपास केंद्रित है। यह शैक्षणिक संस्थानों की वृद्धि, कार्यबल की स्थिति और छात्र नामांकन के उदाहरण का विश्लेषण करता है।

वल्ली धनाराजू (2015) इस पत्र का प्राथमिक लक्ष्य अग्रणी आंध्र में निराश वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन की जांच में मिशनरी शिक्षा की प्रकृति और विकास का सर्वेक्षण करना है। उन्नीसवीं सदी में उत्पीड़ित क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाने में मिशनरी शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तथ्य के बावजूद कि यह धर्मांतरण की आवश्यकता में शुरू किया गया था, यह किसी भी तरह से, आकार या रूप केवल इस कारण तक सीमित नहीं था और आम जनता के समग्र हितों और जरूरतों को भी ले गया। चूंकि सामाजिक परिवर्तन का चक्र लगातार शिक्षा के विकास से जुड़ा हुआ था, मिशनरी शिक्षा ने निराश क्षेत्रों में एक और सामाजिक जागरूकता पैदा की, जिसने आंध्र जिले के बाद के समय में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए उनमें उत्साह बनाए रखा। ब्रिटिश गाइडलाइन द्वारा बनाई गई नई सामाजिक जागरूकता के कारण और पश्चिमी शिक्षा ने कुछ हद तक स्थायी ढांचे के सामाजिक अनुरोध को संबोधित किया और ब्राह्मणों और गैर–ब्राह्मण उच्च रैंक की महारत के विद्वान लोगों के निरोधक बुनियादी ढांचे को भी अलग कर दिया। इसे आजादी के बाद के आंध्र में दांतों की लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है।

भारत में समाज में महिलाओं की स्थिति

वैदिक काल के अंत में (वैदिक काल के बाद) महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति इस हद तक गिर गई कि लड़की का जन्म परिवार में एक अभिशाप के रूप में माना जाने लगा। बौद्ध काल के दौरान भगवान बुद्ध ने महिलाओं को सभी बुराइयों का स्रोत माना। इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न दर्जा दिया गया। मैकाले का कार्यवृत्त 1835, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर देकर भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण लाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन महिला शिक्षा के मुद्दे को भूल गया, जो महिलाओं के उत्थान के लिए जिम्मेदार था। जे.जे. रूसो, जिन्हें हम

आज आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार का जनक कहते हैं, ने महिलाओं की तुलना सजावट के टुकड़ों से की

समाज में महिलाओं की भूमिका और व्यवहार काफी हद तक हमारी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्य प्रणाली और सामाजिक अपेक्षाओं आदि से निर्धारित होता है। हमारे समाज के मानदंड और मानक उसी गति से नहीं बदलते हैं जैसे तकनीकी प्रगति, शहरीकरण, लागत और जीवन स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण होते हैं। सामाजिक और शैक्षिक नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिवर्तनों का सामना करने में विफल रहती हैं। विशेष रूप से, भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति संविधान द्वारा उन्हें दी गई स्थिति और भूमिका और सामाजिक परंपराओं द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच की खाई का एक विशिष्ट उदाहरण है। महिलाओं के लिए जो व्यावहारिक और संभव है और उनके लिए उपयोगी है, वह वास्तव में उनकी पहुंच में नहीं है।

उन्हें सामाजिक मानदंडों और मानकों के ढांचे के भीतर मौजूद रहना होगा, जो बदले में अनंत नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू परंपरा में, बेटियों को शादी में देने और उन्हें शादी के बाद ससुराल भेजने जैसी प्रथाओं और वंश में निरंतरता बनाए रखने के लिए बेटों से जुड़े महत्व ने पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना को मजबूत किया है। मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाओं को धार्मिक समारोहों में शामिल होने से रोक दिया जाता है और बच्चे का जन्म महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर बना देता है।

मनु के विचारों में, "नारी को केवल माँ और पत्नी के रूप में देखा जाता है और उन भूमिकाओं को आदर्श बनाया जाता है। आदर्श पत्नी वफादार होती है और बिना किसी शिकायत के पति और उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करना पुण्य है।ष एक हिंदू विधवा को दुर्भाग्य से शापित किया जाता है और कई पहलुओं में उसकी उपेक्षा की जाती है। उसे किसी भी सामाजिक–धार्मिक कार्यों जैसे विवाह, पूजा, जन्मदिन समारोह आदि में भाग लेने से रोक दिया जाता है, जो उनके साथ–साथ दूसरों के लिए भी दुर्भाग्य ला सकता है। माना जाता है कि किसी भी समारोह में या यात्रा की शुरुआत में विधवा की दृष्टि सफलता में बाधा बनती है। लेकिन एक विधुर इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। पुरुष की तरह महिला कभी भी कोई विशिष्ट निशान नहीं पहनती है जो यह दर्शाता है कि वह विवाहित है। पुरुष विधवा अपनी पत्नी के लिए उपवास नहीं रखती है और पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

लेकिन विवाहित महिला अपने पति और बच्चों की भलाई के लिए कई व्रत रखती है और यहां तक कि शादी के बाद और विशेष रूप से अपने पति की मृत्यु के बाद उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। इस्लामी धर्म में औरत न तो पुजारी हो सकती है और न ही नमाज़ की अगुवाई कर सकती है। औपचारिक धार्मिक संगठनों और समुदाय के कानूनी मामलों में उसका कोई स्थान नहीं है और वह काज़ी नहीं हो सकता है

.महिलाएं भी सामुदायिक प्रार्थना में भाग लेने से वंचित हैं। बौद्ध धर्म में भी पुरुष साधु को नन से ऊंचा दर्जा दिया गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ समय में कई बदलावों के अधीन रही है। प्राचीन काल में पुरुषों के समकक्ष पद से लेकर मध्यकाल की दयनीय स्थिति तक, अनेक सुधारकों द्वारा समान अधिकारों की उन्नति तक, भारत में भारतीय महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आश्चर्यजनक रही है।

भारत में समाज में महिलाओं की स्थिति

वैदिक काल के अंत में (वैदिक काल के बाद) महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति इस हद तक गिर गई कि लड़की का जन्म परिवार में एक अभिशाप के रूप में माना जाने लगा। बौद्ध काल के दौरान भगवान बुद्ध ने महिलाओं को सभी बुराइयों का स्रोत माना। इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न दर्जा दिया गया। मैकाले का कार्यवृत्त 1835, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर देकर भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण लाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन महिला शिक्षा के मुद्दे को भूल गया, जो महिलाओं के उत्थान के लिए जिम्मेदार था। जे.जे. रूसो, जिन्हें हम आज आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार का जनक कहते हैं, ने महिलाओं की तुलना सजावट के टुकड़ों से की

समाज में महिलाओं की भूमिका और व्यवहार काफी हद तक हमारी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्य प्रणाली

और सामाजिक अपेक्षाओं आदि से निर्धारित होता है। हमारे समाज के मानदंड और मानक उसी गति से नहीं बदलते हैं जैसे तकनीकी प्रगति, शहरीकरण, लागत और जीवन स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण होते हैं। सामाजिक और शैक्षिक नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिवर्तनों का सामना करने में विफल रहती हैं। विशेष रूप से, भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति संविधान द्वारा उन्हें दी गई स्थिति और भूमिका और सामाजिक परंपराओं द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच की खाई का एक विशिष्ट उदाहरण है। महिलाओं के लिए जो व्यावहारिक और संभव है और उनके लिए उपयोगी है, वह वास्तव में उनकी पहुंच में नहीं है।

उन्हें सामाजिक मानदंडों और मानकों के ढांचे के भीतर मौजूद रहना होगा, जो बदले में अनंत नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू परंपरा में, बेटियों को शादी में देने और उन्हें शादी के बाद ससुराल भेजने जैसी प्रथाओं और वंश में निरंतरता बनाए रखने के लिए बेटों से जुड़े महत्व ने पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना को मजबूत किया है। मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाओं को धार्मिक समारोहों में शामिल होने से रोक दिया जाता है और बच्चे का जन्म महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर बना देता है।

मनु के विचारों में, "नारी को केवल माँ और पत्नी के रूप में देखा जाता है और उन भूमिकाओं को आदर्श बनाया जाता है। आदर्श पत्नी वफादार होती है और बिना किसी शिकायत के पति और उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करना पुण्य है।[ष] एक हिंदू विधवा को दुर्भाग्य से शापित किया जाता है और कई पहलुओं में उसकी उपेक्षा की जाती है। उसे किसी भी सामाजिक–धार्मिक कार्यों जैसे विवाह, पूजा, जन्मदिन समारोह आदि में भाग लेने से रोक दिया जाता है, जो उनके साथ–साथ दूसरों के लिए भी दुर्भाग्य ला सकता है। माना जाता है कि किसी भी समारोह में या यात्रा की शुरुआत में विधवा की दृष्टि सफलता में बाधा बनती है। लेकिन एक विधुर इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। पुरुष की तरह महिला कभी भी कोई विशिष्ट निशान नहीं पहनती है जो यह दर्शाता है कि वह विवाहित है। पुरुष विधवा अपनी पत्नी के लिए उपवास नहीं रखती है और पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

लेकिन विवाहित महिला अपने पति और बच्चों की भलाई के लिए कई व्रत रखती है और यहां तक कि शादी के बाद और विशेष रूप से अपने पति की मृत्यु के बाद उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। इस्लामी धर्म में औरत न तो पुजारी हो सकती है और न ही नमाज़ की अगुवाई कर सकती है। औपचारिक धार्मिक संगठनों और समुदाय के कानूनी मामलों में उसका कोई स्थान नहीं है और वह काज़ी नहीं हो सकता है

.महिलाएं भी सामुदायिक प्रार्थना में भाग लेने से वंचित हैं। बौद्ध धर्म में भी पुरुष साधु को नन से ऊंचा दर्जा दिया गया है। भारत में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ समय में कई बदलावों के अधीन रही है। प्राचीन काल में पुरुषों के समकक्ष पद से लेकर मध्यकाल की दयनीय स्थिति तक, अनेक सुधारकों द्वारा समान अधिकारों की उन्नति तक, भारत में भारतीय महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आश्चर्यजनक रही है।

तीसरी अवधि (1854–1919)

इस अवधि को अपमानजनक केंद्रीकरण के समय के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार प्रशासन और सामान्य रणनीतियों को लेकर चिंतित थी। उन्होंने सामान्य अधिनियमन, लेखा और प्रशासन पर अविश्वसनीय प्रभाव डाला। आम सरकारें केंद्र सरकार के कार्यालयों के रूप में रहीं, जिन्हें भारत सरकार के पिछले अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण से पहले शिक्षा अधिनियमन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक था। पंजाब का क्षेत्र 1854 में शामिल किया गया था और सरकार ने अमृतसर में वर्तमान तर्ज पर एक स्कूल की स्थापना की। 1854 के सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद शिक्षा के प्रशासन के लिए एक उन्नत ढांचा तैयार किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेषण ने भारत में शिक्षा के प्रशासन की व्यवस्था की स्थापना की नींव रखी।

ब्रिटिश काल में अंतिम चरण (1920–1947)

इस चरण को सामान्य स्वशासन के समय के रूप में जाना जाता है क्योंकि सामान्य विशेषज्ञों को क्षमता का लगभग अधिक उल्लेखनीय हस्तांतरण किया गया था। इसलिए 1921 में, राष्ट्र में स्थापित दोहरे प्रशासन के आलोक में, राज्य

विधान सभाएँ और शिक्षा मंत्रालय दिखाई दिए। उसी वर्ष, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना केंद्र की चेतावनी क्षमताओं को जारी करने के लिए एक उपकरण के रूप में की गई थी। 1924 में कॉलेज बोर्ड की नींव ने देश के विभिन्न कॉलेजों में काम करने और अध्ययन के पाठ्यक्रमों के विस्तृत आरेखों में सह–नियुक्ति प्राप्त की और विदेशों में पावती प्राप्त करने के लिए शिक्षा के बेहतर दिशा–निर्देशों को बांधा। इस प्रगति को वैश्विक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने में एक मील के पत्थर के रूप में जाना जा सकता है। अधिक अनुभवी कॉलेजों की एक महत्वपूर्ण संख्या प्रशासन के मामले में महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़री, जब सब कुछ हो चुका था और विशेष रूप से उन्नत शिक्षा और अन्वेषण के लिए कार्यालय देने में।

1929 की हरतोग समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का अनुभव किया। यह प्राथमिक, वैकल्पिक और उन्नत शिक्षा के लिए शिक्षा के तीन डिग्री की सापेक्ष भीड़ के कारण माना गया था। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशों का एक हिस्सा किया गया था, ये हैं, छात्रों को केंद्रीय विद्यालय के बाद व्यावसायिक या यांत्रिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक और सिफारिश वैकल्पिक स्तर पर पाठ्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए थी, इस लक्ष्य के साथ कि छात्र प्रत्येक स्तर के अंत तक उचित आजीविका ले सकें, जो उन्हें निर्देश या तैयार किए गए थे। 1936–1937 में, सरकार भारत सरकार ने दो ब्रिटिश विशेषज्ञों, एन एबट और एस.एच. वुड्स, उन्होंने राष्ट्र के भीतर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की। बेरोजगारी की समस्या का उत्तर शिक्षा की व्यवस्था में पुनर्निर्माण को प्राप्त करके पाया गया। राष्ट्र की यांत्रिक उन्नति लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करेगी और बेरोजगारी के मुद्दे के उत्तर प्राप्त करेगी।

1934 में सप्रू समिति द्वारा इस सुझाव पर फिर से चर्चा की गई। इसने (यूपी के लिए) सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट चरण को रद्द कर दिया जाना चाहिए और सहायक चरण को एक वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए; वैकल्पिक चरण में छह साल शामिल होने चाहिए, जिन्हें दो में अलग किया जाना चाहिए, उच्च और निम्न, प्रत्येक में तीन साल का समय शामिल होना चाहिए; 11 साल का पूरा कोर्स, प्राथमिक के लिए पांच और वैकल्पिक के लिए छह; निचले सहायक चरण तक समग्र पाठ्यक्रम आठ वर्ष का होना चाहिए। कॉलेज में डिग्री कोर्स तीन साल के समय में पूरा होना चाहिए। इस समिति ने आगे सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा और तैयारी निचले सहायक चरण के बाद शुरू होनी चाहिए।

इस समिति के प्रस्तावों का भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रमों के विस्तार को आधार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम (1935) ने 1937 में पूर्ण सामान्य स्व–शासन प्रस्तुत किया और इसने भारतीय शिक्षा मंत्रियों को द्वैध शासन की तुलना में अधिक उल्लेखनीय बल दिए। यह अप्रत्याशित रूप से था, इसलिए, शैक्षिक मुद्दों को श्सार्वजनिक दृष्टिकोणश से केंद्रित किया जाने लगा। प्राथमिक शिक्षा, सहायक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, पेशेवर और वास्तविक शिक्षा और प्रशिक्षकों की तैयारी, और इसके आगे के विषय में एक टन खोजपूर्ण और परीक्षण कार्य समाप्त हो गया था, हालांकि उन्नत शिक्षा के रूप में बहुत कम काम संभव होना चाहिए।

महिला शिक्षा के विकास की समस्या

अंग्रेजों की शिक्षा नीतिरू पूर्व–ब्रिटिश दिनों में, हिंदुओं और मुसलमानों को क्रमशः पाठशाला और मदरसा के माध्यम से शिक्षित किया गया था, लेकिन उनके आगमन ने सीखने का एक नया स्थान बनाया यानी मिशनरी। ताकि, वे एक ऐसे भारतीय वर्ग का निर्माण कर सकें जो ष्रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन स्वाद में अंग्रेजीष् हो, जो सरकार और जनता के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा, शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। दुनिया बदल दो। भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, उनकी नीतियों और उपायों ने सीखने के पारंपरिक स्कूलों की विरासत को भंग कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थों का एक वर्ग बनाने की आवश्यकता हुई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजी रंग का एक भारतीय कैनवास बनाने के लिए कई अधिनियमों की स्थापना की।

बालिका शिक्षा के विकास में समस्याएं यह कहा गया है कि भारत की तुलना में शिक्षा के विषय में कोई भी देश अधिक जटिल नहीं रहा है। प्रयास करने से पहले लोगों की ऐतिहासिक, नस्लीय, धार्मिक और कृषि विशेषताओं पर विचार किया

जाना चाहिए शैक्षिक जटिलताओं को समझने की दिशा में। ऐतिहासिक रूप से, अधिक शक्तिशाली प्रांतों में देशी स्थानीय स्कूल प्रणाली की मूलभूत विशेषताओं के कई निशान हैं। प्रांतीय और शाही दोनों तरह के कई शैक्षिक आयोगों द्वारा क्रमिक संशोधनों ने भी शैक्षिक प्रणालियों पर अमिट छाप छोड़ी। हालाँकि, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश सरकार के आने तक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली शुरू नहीं हुई थी; लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य के टूटने के परिणामस्वरूप देश की अशांत स्थिति ने शिक्षा की किसी भी व्यापक प्रणाली को असंभव बना दिया है।

प्रारंभ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा प्रणाली के विकास से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार और लाभ कमाना था। भारत में शासन करने के लिए, उन्होंने उच्च और मध्यम वर्गों के एक छोटे से वर्ग को ष्रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद में अंग्रेजीष् बनाने के लिए शिक्षित करने की योजना बनाई, जो सरकार और जनता के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा। इसे ष्डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरीष् भी कहा गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित कदम और उपाय किए गए।

बालिका शिक्षा के विकास में प्रगति

1901 से 1902 तक सरकारी संस्थानों में लड़कियों का प्रतिशत केवल 2.2 था, और एक हजार में केवल सात लड़कियां ही पढ़–लिख सकती थीं, सरकार की ट्यूब उदासीनता ने लड़कियों की शिक्षा के प्रति सार्वजनिक झिझक को बढ़ावा दिया और प्रगति बहुत धीमी गति से हुई। हालाँकि, जैसे–जैसे मिशनरी आंदोलन आगे बढ़ा, सरकार का ध्यान महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर केंद्रित होता गया और लोगों का दृष्टिकोण सक्रिय सहानुभूति में बदल गया। माता–पिता ने धीरे–धीरे महसूस किया कि उनकी बेटियों की शिक्षा उनकी जिम्मेदारियों का उतना ही हिस्सा है जितना कि उनके लड़कों की शिक्षा। 1904 की भारतीय शिक्षा नीति ने महिलाओं की शिक्षा की स्थिति पर असंतोष दिखाया। इसने सुझाव दिया कि लड़कियों के लिए आदर्श प्राथमिक विद्यालय और महिला शिक्षकों के लिए अलग प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएं और इस विद्यालय के लिए निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए।

जैसे–जैसे शिक्षा विभाग विस्तार की योजनाएँ तैयार करने में अधिक उत्साही होते गए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल शुरू किए गए। निरीक्षकों की नियुक्ति की गई; बालिका विद्यालयों को अनुदान दिया गया; चट्टानों को प्रेषित किया गया; और लड़कों के स्कूलों के शिक्षकों को प्रत्येक लड़की के लिए पुरस्कार दिए गए थे जो वे अपने स्कूल में जाने के लिए राजी कर सकते थे। शिक्षण पेशे के लिए लड़कियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप नारी शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। 1904 में बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना हिंदू लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थीश 1906 में बड़ौदा के गेलरनार ने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की; हालाँकि, ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के लिए वास्तविक आंदोलन बाद में नहीं आया था।

समाज के भीतर, महिलाओं को अपने पति के कारण सामाजिक स्थिति और मान्यता प्राप्त हुई। जबकि, पति की मृत्यु पर, वे समाज के भीतर सामाजिक स्थिति खो देते हैं हिंदू महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बारे में दुख व्यक्त करने के संबंध में पांच वर्गों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले, वे जो अपने पति की मृत्यु के बारे में जानकर मर जाते हैं और रिश्तेदारों द्वारा जला दिए जाते हैं; दूसरा है, जो अपने पतियों के प्रति सम्मान की भावना से स्वेच्छा से स्वयं को आग की लपटों में डाल देती हैं; तीसरा है, आलोचना और दुर्व्यवहार से डर की भावना रखने वाली महिलाएं खुद को जलाना पसंद करती हैं; चौथा, महिलाओं की मौत हो जाती है,

इसे प्रथा द्वारा स्वीकृति के रूप में मानते हैं और पांचवां है, जिन्हें उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध जलाने के लिए मजबूर किया गया था। जब महिलाएं उम्मीद कर रही थीं, तब उन्हें प्रसव के बाद तक नहीं जलाया जाना चाहिए था। जब पति की यात्रा पर मृत्यु हो जाती है, तो पत्नियों को अपने कपड़ों और अन्य सामग्री के साथ खुद को जला देना चाहिए था।

सती प्रथा मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया समुदायों से संबंधित महिलाओं द्वारा की जाती थी

1913 के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लड़कियों की शिक्षा को उचित रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया था और इसने सुझाव दिया कि लड़कियों की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त व्यावहारिक प्रकृति का एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। प्रस्ताव में न तो परीक्षा द्वारा महिलाओं की शिक्षा के वर्चस्व का समर्थन किया गया और न ही लड़कों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की नकल का समर्थन किया गया। इसने महिला शिक्षकों और निरीक्षकों के एक बढ़े हुए कर्मचारियों का भी आग्रह किया। 1904 और 1913 के प्रस्तावों की सिफारिश के परिणामस्वरूप निजी उद्यम के लिए एक मॉडल के रूप में हर जिले में एक सरकारी हाई स्कूल स्थापित करना भी आवश्यक माना गया। माध्यमिक शिक्षा की लोकप्रियता बढ़ने लगी और सामान्य वर्ग के लोगों ने भी अच्छी नौकरियों के लालच में अपने बच्चों को बड़ी शिक्षा देने का प्रयास किया। 1916 में पूना में प्रोफेसर डी. टी. कर्वे द्वारा श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रोफेसर कर्वे का मानना था कि जब से पुरुषों और व्लोमेन को जीवन में अलग–अलग भूमिकाएँ निभानी होती हैं, उनकी शिक्षा उनकी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग–अलग तर्ज पर होनी चाहिए।

उनका यह भी मानना था कि सबसे कठिन सोच मातृभाषा में की जा सकती है और विश्वविद्यालय इन सिद्धांतों का पालन करता है। 1917 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर आयोग) की नियुक्ति की। इस आयोग ने श्अगरश्– किशोर या सोलह वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए पर्दा स्कूलों की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। 1917 में 12 कला महाविद्यालय, 4 व्यावसायिक महाविद्यालय, 689 माध्यमिक विद्यालय और लड़कियों के लिए 18,122 प्राथमिक विद्यालय थे।

निष्कर्ष

माना जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा प्राप्त शिक्षा ढांचे का भारतीय संस्कृति पर एक विशिष्ट सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हेडवेज ने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया और परिप्रेक्ष्य वाले व्यक्तियों को प्रेरणा दी। अधिक वर्तमान शिक्षा ने अतिरिक्त रूप से भारतीयों को उन परिस्थितियों की जांच करने और बेहतर और अधिक खोजने में सहायता की स्तरीय व्यवस्था। विश्वव्यापी उथल–पुथल की सीख और विभिन्न तर्कशास्त्रियों पर विचार करने से भारतीयों ने ब्रिटिश दुर्व्यवहार के पूरे विचार पर सवाल उठाया और ब्रिटिश शासन के पूरे विचार के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा किया और इस तरह एक स्वतंत्र भारत के लिए लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक गंभीर और निरंकुश लाया गया है, हालांकि उन्होंने भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रगति की है। नतीजतन, यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है, अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा में प्रगति ने वास्तव में स्थापित वर्तमान शिक्षा ढांचे के गठन को प्रेरित किया है और इसके अलावा लंबी अवधि में भारतीयों की कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को बदलने में मदद की है।

वर्तमान भारत में शिक्षा की व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन के उदय के साथ ध्यान देने योग्य गुणवत्ता प्राप्त की। 1700 के दशक के केंद्र और 1800 के दशक की शुरुआत को उस अवधि के रूप में नामित किया गया है, जब देश के अंदर देशी शिक्षा की प्रधानता थी। इस अवधि के दौरान शिक्षा का प्राथमिक कारण यह गारंटी देना था कि भारतीय जीवन जीने के पश्चिमी तरीकों, समाजों, गुणों, मानकों और दिशानिर्देशों के साथ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान भारत का शैक्षिक इतिहास तीन चरणों में था। ये थे, पहला चरणरू अवहेलना की अवधि (1813–1902), दूसरा चरणरू गंभीर अस्थिरता की अवधि (1902–1918) और तीसरा चरणरू जांच की अवधि (1918–1947)। जो विभिन्न सुधार हुए, वे मूल रूप से पूरे देश में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की उन्नति के साथ पहचाने गए। हालाँकि, शिक्षा की व्यवस्था चौतरफा निर्मित अवस्था में नहीं थी और आवश्यक संख्या में उन्नयन की आवश्यकता थी। इन संवर्द्धन को शैक्षिक योजना और निर्देशात्मक तकनीकों के संबंध में शुरू किया जाना चाहिए था, सीखने के उपायों, नींव, उपयुक्तता, कार्यालयों आदि को निर्देश देना। शिक्षा का कारण मूल रूप से सख्त शिक्षा पर आधारित था और आमतौर पर पूर्व–तीर्थ समय में प्रकृति में अन्य था। चौखटा। जिस समय ब्रिटिश शासक भारत आए, उन्होंने पूरे देश में शैक्षिक संस्थानों का एक संगठन फैलाया, जिसमें सब कुछ समान था, हिंदू और मुस्लिम दोनों। इस अवधि के दौरान, ब्रिटिश शासकों ने विनिमय अभ्यासों पर अधिकांश भाग को शून्य कर दिया और इसके अलावा उन्नत शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया। वुड्स डिस्पैच 1854 में गठित समिति थी। इस समिति के प्रमुख लक्ष्य संबंधित क्षेत्रों, शिक्षा के बिंदु, शैक्षिक कार्यक्रम, मार्गदर्शन की व्यवस्था, सार्वजनिक मार्गदर्शन की शाखा, कॉलेज शिक्षा, समीक्षा की गई शिक्षा का महत्व, सामान्य शिक्षा का विस्तार, पर केंद्रित हैं। शिक्षा, शिक्षक की तैयारी,

महिला शिक्षा, शिक्षा और कार्य और व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन–गाइड पुरस्कार। इसके बाद, यह व्यक्त किया जाता है कि ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्र के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की नींव में एक प्रतिबद्धता प्रदान की और विषयों को प्रस्तुत किया, उदाहरण के लिए, अंकगणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, कानून, ब्रह्मांड विज्ञान, नीति प्रबंधन, आदि। अपने दिन–प्रतिदिन के वातावरण में सुधार कर सकते हैं।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1) एसआईएल, एन. आनंद मार्ग का ओडिसीरू एक तुलनात्मक अध्ययन। जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, 2012, वॉल्यूम में। 48, नंबर 2, पी। 232.

2) फिरोज हाई सरवर, ष्ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में ईसाई मिशनरी और महिला शिक्षारू ईसाईकृत औपनिवेशिक प्रभुत्व बनाम महिला मुक्ति के बीच एक व्याख्यानष, आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (जेएचएसएस), आईएसएसएनरू 2279–0837, आईएसबीएनरू 2279–0845। खंड 4, अंक 1 (नवंबर – दिसंबर 2012), पीपी 37–47।

3) टोप्पो, एस. डायनेमिक्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ट्राइबल इंडिया (2005), पीपी. 94–95।

4) थ्न्बै, स्टीफन। अगेंस्ट एसेंशियलिज़्मरू ए थ्योरी ऑफ़ कल्चर एंड सोसाइटी। मैसाचुसेट्सरू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005।

5) साहू, डी. सेरामपुर तब और अब। इंडियन जर्नल ऑफ थियोलॉजी, 1993, वॉल्यूम में। 35, नंबर 1, पीपी। 9–11।

6) हेडन जॉन बेलेनोइट, षमिशनरी एजुकेशन, रिलिजन एंड नॉलेज इन इंडिया, ब.1880–1915ष, मार्च 2007, मॉडर्न एशियन स्टडीज 41(02)रू369 – 394, क्व्रू 10.1017/0026749ग्05002143

7) बारा, जोसेफ। उपनिवेशवाद, ईसाई धर्म और पूर्वी भारत में छोटा नागपुर की जनजातियाँ, 1845 – 1890। दक्षिण एशिया मेंरू दक्षिण एशियाई अध्ययन के जर्नल, 2007, खंड। 30, नंबर 2, पीपी. 195–222।

8) ब्लेयर, कॉलिन फिट्जेंरी। भारत में ईसाई मिशनरू सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ मिशनों का योगदान। बर्नाबी, 2008. 210 पीपी. अप्रकाशित पीएच.डी. निबंध। साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल स्टडीज के लिए स्कूल। ख्ऑनलाइन, खसिट। 12 अक्टूबर 2018,। ढ ीजजचरू/ /ूहववहसम.बव.ात/नतस से उपलब्ध है?

9) चौधरी, एस। भारत में उच्च शिक्षारू प्राचीन काल से 2006 – 2007 तक एक सामाजिक–ऐतिहासिक यात्रा। शैक्षिक पूछताछ के जर्नल में, 2008, वॉल्यूम। 8, नंबर 1, पीपी। 50–72।

10) धनराजू, वल्ली। औपनिवेशिक आंध्र में मिशनरी शिक्षा का योगदानरू दलित वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन। शैक्षिक विज्ञान के अनुसंधान जर्नल, 2015, वॉल्यूम में। 3, नंबर 7, पीपी. 7–15.

11) डॉस, एम. क्रिस्थु। इंडियन क्रिश्चियन एंड द मेकिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर इन साउथ इंडिया। दक्षिण एशिया अनुसंधान, 2018, वॉल्यूम में। 38, नंबर 3, पीपी 1–21।